ई–मेल/आज ही जारी हो ।

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांक प. 9 (3)/शिक्षा–5/ऑनलाईन /2017 जयपुर दिनांक 23-08-2017

निदेशक
प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

विषय :– गैर–सरकारी विद्यालयों की मान्यता 2017–18 के टाइम फ्रेम के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि गैर–सरकारी विद्यालयों की मान्यता के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक प.9(3)शिक्षा–5/ऑनलाइन मान्यता/2017 दिनांक 17.03.2017 द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये गये थे। इन दिशा–निर्देशों के अध्याय संख्या–4 में दिये गये टाइम फ्रेम में पत्र क्रमांकः प. 9(3)शिक्षा–5/ऑनलाइन मान्यता/2017 दिनांक 18.05.2017 द्वारा संशोधन किया गया था लेकिन निर्धारित टाइम फ्रेम में समस्त गैर–सरकारी विद्यालयों की मान्यता प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी है। विद्यालयों एवं कार्यालयों को पुनः एक अवसर देते हुए मान्यता हेतु संशोधित टाइम फ्रेम निम्नानुसार जारी कर निर्देशित किया जाता है कि संशोधित टाइम फ्रेम के अनुसार निर्धारित अवधि में समस्त कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें । निर्धारित कार्यक्रमानुसार कार्य पूर्ण न होने पर उत्तरदायित्व निर्धारण की कार्यवाही की जाएगी :–

क्र. सं.	गतिविधि	टाइम फ्रेम	सम्बन्धित कार्यालय
1	पत्रावलियों की ऑनलाइन जॉच एवं सत्यापन दलों का गठन	28 अगस्त 2017 तक	सम्बन्धित जि.शि.अ. कार्यालय
2	विद्यालयों का भौतिक सत्यापन एव सत्यापन रिपोर्ट कार्यालय में प्रस्तुत करना	5 सितम्बर 2017 तक	सम्बन्धित सत्यापन दल
3	मान्यताओं का निदेशालय से अनुमोदन प्राप्त करना (माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों के लिए)।	11 सितम्बर 2017 तक	जि.शि.अ. माध्य. शिक्षा कार्यालय एवं निदेशालय मा.शि., राजस्थान, बीकानेर
4	संस्थाओं के मान्यता के योग्य पाए जाने की स्थिति में आरक्षित कोष की राशि के डी.डी. व फिक्सड डिपोजिट का विवरण व दस्तावेज प्राप्त करना।	15 सितम्बर 2017 तक	सम्बन्धित संस्था एवं सम्बन्धित जि.शि.अ. कार्यालय।
5	मान्यताऐं जारी कर विद्यालयों को आदेश उपलब्ध करवाना।	20 सितम्बर 2017 तक	सम्बन्धित जि.शि.अ. कार्यालय
6	मान्यता के लिए अपात्र पायी गयी संस्थाओं को सूचित करना।	25 सितम्बर 2017 तक	सम्बन्धित जि.शि.अ. कार्यालय

भवदीय

(उमा शंकर त्रिपाठी)
वरिष्ट शासन उप–सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ट सहायक, शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट, शासन सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. श्री विनोद जैन, तकनिकी निदेशन एवं पी.एस.पी. पोर्टल प्रभारी, एनआईसी, शिक्षा संकुल, जयपुर।
5. राज्य समन्वयक, प्राइवेट स्कूल पोर्टल, सेन्ट्रल सैल, शिक्षा संकुल, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ट शासन उप–सचिव